न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, अम्बेडकरनगर

एस0टी0नं0–41 / 2022 क0नं0–156 / 2022

सी0एन0आर0नं0–यूपीएएन01001027–2022

सरकार–बनाम–रामनाथ उर्फ नत्था

मु0अ0सं0:–314 / 2020
धाराः–413 भा0दं0सं0
थानाः–अहिरौली
जिला–अम्बेडकरनगर

28.06.2022

आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्त **रामनाथ उर्फ नत्था** जेल से उपस्थित है। आरोप रचना के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय (फौजदारी) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उसे आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्त की तरफ से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की गरज से झूंठा फंसाया गया है, और वह निर्दोष है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त रामनाथ उर्फ नत्था के विरूद्ध धाराः–413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप रचना हेतु प्रथम दृष्टया प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचना की जाय।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–28.06.2022

अभियुक्त रामनाथ उर्फ नत्था के विरूद्ध धाराः–413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप रचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–19.07.2022 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–28.06.2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, अम्बेडकरनगर

एस0टी0नं0—41/2022 क0नं0—156/2022

सी0एन0आर0नं0—यूपीएएन01001027—2022

सरकार—बनाम—रामनाथ उर्फ नत्था

मु0अ0सं0:—314/2020
धारा:—413 भा0दं0सं0
थाना:—अहिरौली
जिला—अम्बेडकरनगर

आरोप

मैं नेहा आनन्द, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बेडकरनगर आप अभियुक्त **रामनाथ उर्फ नत्था** पर निम्न आरोप लगाती हूँ—

यह कि दिनांक—12.12.2020 को समय करीब 12.30 बजे दिन बहद स्थान तिराहा अन्नावॉ बाजार रोड श्रवण क्षेत्र थाना—अहिरौली जिला—अम्बेडकरनगर में आप चोरी किये गये आभूषण को यह जानते हुए की वह चोरी के हैं, उन्हें बेचने के आशय से अपने पास छिपा कर रखा गया। इस प्रकार आप ने ऐसा कार्य किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा—413 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोप के तहत आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316

दिनांक—28.06.2022

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मॉग किया।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316

दिनांक—28.06.2022